

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
बलभूम भवन, भोपाल-462004

:: 2 ::

क्रमांक रक 73-78/20-3/2003 भोपाल, दिनांक -
प्रति.

सचिव,
केन्द्रीय शिक्षा मण्डल,
श्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय सरकारी शिक्षा मंदिर केदारखुर, रघातियर को छोड़कर तो. बी.एस.ई. से उत्थापिता हेतु एन.ओ.सी. देने चाहत ।

== ८० ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय सरकारी शिक्षा मंदिर केदारखुर, रघातियर को तो. बी.एस.ई. नई दिल्ली से उत्थापिता हेतु उनापरिके प्रमाण-पत्र विशेष प्रकरण मानकर नियन्त्रित शर्तों पर दिया जाता है :-

1. संस्था को उन्होंने धार्य तमिति में एव प्रतिनिधि विलासिता अधिकारी को स्थाये जो या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना दौगा तथा द्वारे प्रतिनिधि के त्वं में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक [परीक्षण] दो या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य होगा ।
2. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत हक्कयों को जारीकरना होगा ।
3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा विधा के प्रयार - प्रतार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था ते किन्हीं कार्यों को उपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
4. ऐलाकूद गतिविधियों में यदि संस्था यादे तो हक्कयता ग्रहण कर सकता है, परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके लिये छेत परिवर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

5.

राज्यप्रदेश को संवालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की तेवाजी की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा अधिकारी

अधिकारी

॥ रक 73-78/20-3/2003

उचित

मध्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पुरुष रक 73-78/20-3/2003

भोपाल, दिनांक - 27/06/2003

प्रतिलिपि :-

1. अतुल, लोक विधि, मध्य शासन, भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रघातियर, मध्य ।
3. प्राचार्य, अशासकीय सरकारी शिक्षा मंदिर केदारखुर, रघातियर को जोर सुनार्य एवं आवश्यक शास्त्रीय हेतु जगेहित है ।

M. J. Singh
अधिकारी 27/06/2003

मध्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

निरन्तर 2 पर.